

प्रेषक,

मिशन निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,

उत्तर प्रदेश

लखनऊ।

सेवा में,

1-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

7809-2

पत्रांक:-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/बजट/2015-16/51-H/

दिनांक:

7/11/15

विषय:- ए0एम0सी0 हेतु आवंटित बजट के अन्तर्गत व्यय हेतु मानकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी0आई0पी0 2015-16 में मिशन फ्लैक्सीपूल मद के उपमद ए0एम0सी0 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया है:-

- AMC @ Rs. 4000.00 per year per computer basis for 951 Old HMIS computers as per FMR code B.15.3.2.5. financial year 2015-16.
- AMC @ Rs. 4000.00 per year per computer basis for 820 New block MCTS computers as per FMR code B.15.3.2.5. financial year 2015-16.

“Approved for AMC of 1,771 computer / printers / UPS @ Rs 4,000/- per annum per equipment. These are indicative rates, final rates are to be arrived at as per DGS&D rate contract or after competitive bidding following Government protocols. State must ensure that these equipments are not covered by post-sale warranty / guarantee.”

उक्त मदों में स्वीकृत धनराशि के व्यय हेतु मानकों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. ब्लॉक एवं जिला स्वास्थ्य इकाइयों में कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 हेतु रु0 4000.00 प्रति कम्प्यूटर वार्षिक की दर से बजट प्राविधानित किया गया है। इस मानक के अनुसार स्वास्थ्य इकाइयों में स्थापित 1771 कम्प्यूटर प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 के ए0एम0सी0 (वार्षिक रख-रखाव) उपयोग हेतु एवं एण्टी-वायरस आदि पर नियमानुसार व्यय किया जाएगा।
2. जनपद में आपूर्तित सभी कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू0पी0एस0 की ए0एम0सी0 का अनुबन्ध नियमानुसार करते हुए डी0एच0एस0 के अनुमोदनोपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही की जाये। प्रत्येक कम्प्यूटर पर एन्टीवायरस सफ्टवेयर उपलब्ध हो इस हेतु भी कार्यवाही नियमानुसार की जानी है। वार्षिक रखरखाव के अन्तर्गत कंज्यूमेबिल, प्लास्टिक पार्ट्स टोनर इत्यादि शामिल नहीं होते हैं तथा अन्य सभी स्पेयरस शामिल किये जाते हैं।

जनपदवार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

FMR Code: B.15.3.2.5. : AMC OF COMPUTER/PRINTER/UPS (01-04-15 to 31-03-2016)

Sl No	Districts	No. of Block	DCH	DMH	DWH	Total units	No. of Block level MCTS computers FY 2013-14	Total No. of Computer System	Total amount of AMC Cost @ Rs.4000/(computer+UPS+Printer)/ year for 1771 System
		No. of computer procured in F.Y. 2010-11 for HMIS							
1	2	3	4	5	6	7=Col (3+4+5+6)	8	9= Col (7+8)	10=Col. 9x Rs.4,000
1	Agra	15		1	1	17	15	32	128000
2	Firozabad	9	1	1	1	12	9	21	84000
3	Mainpuri	9		1	1	11	9	20	80000
4	Mathura	10		1	1	12	10	22	88000
5	Aligarh	12	1	1	1	15	12	27	108000
6	Etah	8		1	1	10	8	18	72000
7	Hathras	7	1		1	9	7	16	64000
8	Kashi R Nagar	7		1		8	7	15	60000
9	Allahabad	20		2	1	23	20	43	172000
10	Fatehpur	13		1	1	15	13	28	112000
11	Kaushambi	8	1			9	8	17	68000
12	Pratapgarh	17		1	1	19	17	36	144000
13	Azamgarh	22		1	1	24	22	46	184000
14	Balia	17		1	1	19	17	36	144000
15	Mau	9	1			10	9	19	76000
16	Bareilly	15		1	1	17	15	32	128000
17	Badaun	15		1	1	17	15	32	128000
18	Pilibhit	7		1	1	9	7	16	64000
19	Shahjahanpur	15		1	1	17	15	32	128000
20	Basti	14		1	1	16	14	30	120000
21	Sant K Nagar	9				9	9	18	72000
22	Siddharth Ngr	14	1			15	14	29	116000
23	Banda	8		1	1	10	8	18	72000
24	Chitrakoot	5	1			6	5	11	44000
25	Hamirpur	7		1	1	9	7	16	64000
26	Mahoba	4	1		1	6	4	10	40000
27	Bahraich	14		1	1	16	14	30	120000
28	Balrampur	9		1	1	11	9	20	80000
29	Gonda	16		1	1	18	16	34	136000
30	Shrawasti	5				5	5	10	40000
31	Ambedkar Ngr	9	1			10	9	19	76000
32	Amethi	13	0	0	0	13	13	26	104000
33	Barabanki	15		1	1	17	15	32	128000
34	Faizabad	11		1	1	13	11	24	96000
35	Sultanpur	13		1	1	15	13	28	112000
36	Deoria	16		1	1	18	16	34	136000
37	Gorakhpur	19		1	1	21	19	40	160000
38	Kushinagar	14	1			15	14	29	116000
39	Maharajganj	12	1			13	12	25	100000

40	Jalaun	9		1	1	11	9	20	80000
41	Jhansi	8		1	1	10	8	18	72000
42	Lalitpur	6		1	1	8	6	14	56000
43	Farrukhabad	7		1	1	9	7	16	64000
44	Auraiya	7				7	7	14	56000
45	Etawah	8		1	1	10	8	18	72000
46	Kannauj	8	1			9	8	17	68000
47	Kanpur Dehat	10	1			11	10	21	84000
48	Kanpur Nagar	10		2	1	13	10	23	92000
49	Hardoi	19		1	1	21	19	40	160000
50	Lakhimpur	15		1	1	17	15	32	128000
51	Lucknow	11	1	1	2	15	8	23	92000
52	Rae Bareli	18		1	1	20	18	38	152000
53	Sitapur	19		1	1	21	19	40	160000
54	Unnav	16		1	1	18	16	34	136000
55	Bagpat	6				6	6	12	48000
56	Bulandshahar	16	1	1	1	19	16	35	140000
57	G B Nagar	4	1			5	4	9	36000
58	Ghaziabad	4	1	1	1	7	4	11	44000
59	Hapur	4	0	0	0	4	4	8	32000
60	Meerut	12		1	1	14	12	26	104000
61	Mirzapur	12		1	1	14	12	26	104000
62	Sonbhadra	8	1			9	8	17	68000
63	St Ravidas Nagar	6		1		7	6	13	52000
64	Bijnor	11	1		1	13	11	24	96000
65	JP Nagar	6				6	6	12	48000
66	Moradabad	8		1	1	10	8	18	72000
67	Rampur	6		1	1	8	6	14	56000
68	Sambhal	8				8	8	16	64000
69	Muzaffarnagar	9		1	1	11	9	20	80000
70	Saharanpur	11		1	1	13	11	24	96000
71	Shamli	5	0	0	0	5	5	10	40000
72	Chandauli	9		1		10	9	19	76000
73	Ghazipur	16		1	1	18	16	34	136000
74	Jaunpur	21		1	1	23	21	44	176000
75	Varanasi	8		3	1	12	8	20	80000
	Total	823	19	56	53	951	820	1771	7084000

ए0एम0सी0 हेतु रू0 70,84,000.00 (रू0 सत्तर लाख चौरासी हजार मात्र)।

उपर्युक्त दी गई फांट के अनुसार तैनात किये गये समस्त ब्लाक एम0सी0टी0एस0 डेटा-इंट्री ऑपरेटर के टी0ए0/डी0ए0 का भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार एफ0एम0आर0 कोड संख्या बी15.3.1.5.2 से किया जायेगा। उक्त धनराशियों का व्यय "ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें :-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम

- प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाये। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 - जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
 - जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
 - आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
 - प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
 - व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
 - भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाये। नियमों का पालन न करने एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव ठीक न होने के कारण यदि धनराशि का व्यय नियमानुसार नहीं पाया जाता है या अन्य कोई वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

कृपया उक्त मानकों के अनुसार एम0सी0टी0एस0/एच0एम0आई0एस0 मद में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा विवरण ससमय प्रेषित करें।

भवदीय,


(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक:-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/एम0आई0एस0/बजट/2015-16/51-H/

तददिनांक:

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0/समस्त डिवीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, लखनऊ।
8. समस्त जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक-एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक